

संख्या- 56 /2026/292/नौ-9-2026-001-ई-2028235

प्रेषक,

राजेश्वरी प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
30प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 09 मई, 2026

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम अयोध्या में "अयोध्या धाम क्षेत्र के अंतर्गत रामपथ से संलग्न मुख्य गलियों में वाइट टॉपिंग (सी0सी0 रोड) द्वारा निर्माण एवं अन्य कार्य" हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, 30प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-4299/106(1)/SSCM/2020-21, दिनांक 26.02.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम अयोध्या में "अयोध्या धाम क्षेत्र के अंतर्गत रामपथ से संलग्न मुख्य गलियों में वाइट टॉपिंग (सी0सी0 रोड) द्वारा निर्माण एवं अन्य कार्य" हेतु कुल लागत धनराशि ₹0 26,32,41,000/- (रूपये छब्बीस करोड़ बत्तीस लाख इकतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 35 प्रतिशत की धनराशि ₹0 9,21,34,000/- (रूपये नौ करोड़ इक्कीस लाख चौतीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ द्वारा स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक के स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गार्डिलाइन्स 2019 के दिशा निर्देशों/शासन के आदेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, अयोध्या को अंतरित की जायेगी।
- (2) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।
- (4) परियोजना प्रस्ताव/आगणन में कन्टीजेन्सी मद में प्रस्तायित धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मर्दों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही किया जायेगा।

- (5) परियोजना में प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फारमेशन चौड़ाई इत्यादि तथा पक्के स्ट्रक्चर्स यथा- पुल, पुलिया, ड्रेन इत्यादि का निर्माण IRC/लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (6) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
- (7) परियोजना प्रस्ताव/आगणन में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- मार्ग निर्माण की लंबाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत परियोजना के स्कोप इत्यादि, शासन का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (8) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किये जाये।
- (9) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
- (10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (11) परियोजनान्तर्गत बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।
- (12) परियोजना के निर्माण के उपरान्त नाले के मेन्टीनेन्स/रखरखाव के सम्बन्ध में निकाय द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के साथ ही सुनियोजित कार्ययोजना तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) कार्य प्रारम्भ होने के तिथि से 12 माह की अवधि के भीतर परियोजना को पूर्ण करा लिया जायेगा, जिससे मूल्यवृद्धि/प्राइज एडजस्टमेन्ट के कारण राजकोष पर अतिरिक्त व्यय-भार न आये।
- (14) निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं०-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा परियोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (15) राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की दिनांक 17.02.2026 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त में अंकित समस्त बिन्दुओं/अन्य सुझावों का अनुपालन/समावेश करने का दायित्व व्यक्तिगत रूप से नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या का होगा एवं इसका पर्यवेक्षण राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, 30प्र० द्वारा किया जायेगा।
- (16) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (17) परियोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। निकाय/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था

के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही निकाय/कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि परियोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जायेगा।

- (18) परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथायत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (19) परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (20) संबंधित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति (ड्रूप्लिकेसी) नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।
- (21) अवमुक्त की गयी धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2027 तक उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
- (22) कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (23) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल विभाग को दी जाय।
- (24) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय ₹ 9,21,34,000/- (रुपये नौ करोड़ इक्कीस लाख चौतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-3-X-2026-27, दिनांक- 07 मई, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
RAJESHWARI PRASAD
Date: 08-05-2026
20:23:34

भवदीय,
(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या- 56 /2026/292/नौ-9-2026-001-ई-2028235. तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या।
4. राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, 30प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7. जिलाधिकारी, अयोध्या।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या।
9. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, अयोध्या।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, 30प्र0 शासन।
12. गार्ड फाईल/कंप्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)

उप सचिव।